

F. No. 6/8/2024-Welfare

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
28 अगस्त, 2024

सलाहकारी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17.10.2023 के निर्णय के संबंध में सुप्रियो @सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ (रिट याचिका सिविल क्रमांक 1011/2022) के मामले में, यह स्पष्ट किया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और खाता-धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में खाते में शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक के साथी को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21.08.2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।



(अरुण कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी शेयरधारक